

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER,  
DISTRICT KINNAUR AT RECKONG PEO, HP.

NO.KNR-LRK-FRA/2015

Dated: 19<sup>th</sup> December, 2018 Ms-2479

**TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August, 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose. It is clarified that 25-59-63 Hect. of forest land proposed to be diverted in favor of HP PWD Karchham Division (B&R) Bhabanagar duly processed and recommended by the Forest Right Committee in gram Panchayat Yangpa, Kafnoo & Katgaoun, Tehsil Nichar, District Kinnaur, H.P. for the construction of road, (C/o Bhaba Mud Saganm Attrroo Km. 0/00 to 44/400 km. (Portion 0/0 to 7/0 in under territorial region in Distt. Kinnaur HP.) (Portion 7/0 to 44/400 under wild life region ) were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

It is further certified that;

- a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 25-59-63 hect. of forest area for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-A.
- b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its application in vernacular/Local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under the FRA,
- c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed certain and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details proposed diversion. A copy of certified issued by the Gram Panchayat Yangpa, Kafnoo & Katgaoun, village is enclosed as annexure A
- d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- e) the diversion of forest land for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- f) the rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agriculture Communities. Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Place: Reckong Peo

Dated: 19-12-2018

*Copy attested*

Deputy Conservator of Forest  
Kinnaur Forest Division  
at Reckong Peo, H.P.

*[Signature]*  
Deputy Commissioner  
District Kinnaur at R-Peo

50

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER,  
DISTRICT KINNAUR AT RECKONG PEO, HP.**

**Proceedings of the meeting of the District level Committee constituted under scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.**

A meeting of the District Level Committee constituted under FRA-2006 was held under the Chairmanship of Deputy Commissioner Kinnaur at Reckong Peo on 15-12-2018 at 11:00 A.M. at Deputy Commissioner Office Reckong Peo, in which the applications for forest land diversion identified in Up Mohal Masrang, Dhar Nigual & Dhar Thuskayo total area measuring 25-59-63 hct. in Gram Panchayat Yangpa for construction of Bhaba Mud Saganm Atfrr00 Km. 0/00 to 44/400 km. (Portion 0/0 to 7/0 in under territorial region in Distt. Kinnaur HP.) (Portion 7/0 to 44/400 under wild life region ) by the HP PWD Karchham Division (B&R) Bhabanagar, in compliance under FRA-2006 vide HP Govt. notification No. TBD(A)3-1/2013-Loose Dated- 17<sup>th</sup> February, 2016 was discussed.

After scrutiny of documents and detailed discussions, and considering the inordinate delay in completing the process and resultant adverse impact on the State Govt. and the user agency, District Level Forest Rights Committee unanimously recommended the diversion of forest land identified in Up Mohal Masrang, Dhar Nigual & Dhar Thuskayo total area measuring 25-59-63 hct. in Gram Panchayat Yangpa for construction of Bhaba Mud Saganm Atfrr00 Km. 0/00 to 44/400 km. (Portion 0/0 to 7/0 in under territorial region in Distt. Kinnaur HP.) (Portion 7/0 to 44/400 under wild life region ) by the HP PWD Karchham Division (B&R) Bhabanagar.

**Name of Applicants**

Executive Engineer,  
HPPWD Division Karchham  
at Bhabanagar Teh. Nichar

**Members of District Level Committee :-**

1. Sh. Daulat Ram  
V.P.O. Killa Teh. Sangla

2. Sh. Yashveer Singh Negi  
V.P.O. Sangla Teh. Sangla

3. Sh. Kewal Ram  
V.P.O. Nalpa Teh. Nichar

4. Divisional Forest Officer of concerned  
Deputy conservator of forest.

5. Divisional Forest Officer  
Wild life Division Sarahan

6. Project Officer  
ITDP Kinnaur

*Atsteel*  
Deputy Conservator of Forest  
Kinnaur Forest Division  
at Reckong Peo, H.P

*[Signature]*  
Deputy Commissioner-cum-Chairman  
District Level FRA Committee Kinnaur



**कार्यालय ग्राम पंच.**  
विकास खण्ड निचार (स्थित भावानगर),  
पंचायती राज विभाग

**कटगांव**  
केन्नौर (हि.प्र.)

क्रमांक .....

नकल प्रस्ताव संख्या.....15..... दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम ..... 09-09-2018

उपरिस्थिति.....196/1482..... अध्यक्षता श्री. पदम सिंह प्रधान ग्राम पंचायत, कटगांव

307A / 15/2018  
309  
3078

विषय :- आवा मुद्दे सौजन्य सड़क के नि. हेतु अनापते पुमान  
पुमान पत्रवार - आज की बैठक में अल्पसंख्यक सदस्यों  
जीने उपस्थित सदस्यों को अनापत कटगांव कि उपरोक्त  
सड़क के नि. हेतु हि.प्र. लोक निर्माण द्वारा पंचायत से  
अनापते पुमान पत्र लिया जा रहा है पंचायत द्वारा इस  
विषय को ग्राम सभा की बैठक में रखने हेतु विचार रखा  
गया बलबलि चर्चा हेतु आज की बैठक में लामा गया  
व विषय पर व्यापक चर्चा हेतु कहा गया उपस्थित  
सभी सभा सदस्यों ने चर्चा उपरान्त निर्णय लिया  
कि उपरोक्त सड़क के निर्माण में कटगांव पंचायत  
क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है  
अतः हि.प्र. लोक नि. विभाग को सड़क निर्माण हेतु  
अनापते पुमान पत्र जारी किया जाए अतः उपरोक्त  
सदस्यों ने सर्व समर्थ से पाल किया

प्रतिलिपि; अधिकारी अभिमत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग  
सोलाहा का आगामी कार्यवाही हेतु  
पुमान पत्र किया जाता है कि नकल अतः  
मुताबक सही है

ग्राम पंचायत विकास खण्ड निचार  
(स्थित भावानगर), कटगांव

45  
Deputy Conservator of Forest  
Kinnaur Forest Division  
at Reckong Peo, H.P.

Scanned by CamScanner

उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार की बैठक दिनांक 03 अक्टूबर 2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्राप्त दावों पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार की बैठक आयोजित कर भावा मूद समनम प्रस्तावित सड़क नं. 733/708/694/1, 678/1, 742/728/704/689/589/1, 742/728/704/689/589/2, 569/1/1, 605/1, 717/216, 146/1, 78/1, 74/1, 50/1, 54/1, 68/1, 49/1, 44/1, 40/1, 37/1, 36/1, 17/1, 4/1, 4/2, 4/3 रक्बा तावावी 4-80-00 हेक्टेयर वन भूमि, मकल धार निगुफल में खसरा नम्बरान 14/1, 12/1, 11/1, 11/2, 11/3, 10/1, 10/2 तथा मकल धार वस काये में खसरा नम्बरान 9/1, 9/2, 9/3, 10/3, 8/1 रक्बा तावावी 20-79-63 हेक्टेयर वन भूमि हि० प्र० लो० नि० वि० द्वारा भावा मूद सड़क निर्माण के लिए अर्जित की जानी है पर आगामी कार्यवाही की गई जिसमें उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यों व अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने उपरोक्त प्राप्त दावों का अवलोकन/जांच करने के बाद निम्न निर्णय लिया गया :-

इस सम्बन्ध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति गाँगा, ग्राम पंचायत कल्याण से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र तथा ग्राम सभा गाँगा के प्रस्ताव की प्रति प्रेषित करे उपरोक्त सड़क निर्माण बारे उपरोक्त वन भूमि खसरा नम्बरान पर ग्रामवासियों ने उक्त सड़क के निर्माण भूमि अर्जन हेतु अनापति जाहिर कि है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि वन अधिकार कमेटी गाँगा द्वारा आज तक उपरोक्त वन भूमि पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत एवं सामुहिक दावा पेश नहीं किया है और इसमें किसी भी तरह के वन अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। उतः अन्त में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के विकास्तामक कार्यों के लिए जो वन भूमि अर्जित की जाती प्रस्तावित है को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। बैठक में भावा मूद समनम प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित वन भूमि अर्जित करने हेतु उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति ने सर्व सम्मति से अनुमोदित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को आगामी कार्यवाही हेतु भेजने बारे निर्णय लिया।

03-10-2018  
 उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं अध्यक्ष उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार स्थित भावानगर।  
 दिनांक: 3/10/18

पृष्ठांकन संख्या उपरोक्त: 2764  
 प्रतिलिपी: सेवा में,

उपायुक्त महोदय एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला किन्नौर को उपरोक्त प्रस्ताव बारे सूचनाार्थ

उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं अध्यक्ष उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार स्थित भावानगर।

श्री राजकुमार, सदस्य उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार।

श्री मति मायूम देवी, सदस्य उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार।

अधिसूची अभियन्ता, हि० प्र० लो० नि० वि० कारखान स्थित भावानगर जिला किन्नौर।

वन पश्चिमाधिकारी, कडगांव K.P. स्थित किन्नौर

श्री देव सिंह, सदस्य उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार।

अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय परियोजना अधिकारी, आई०डी०डी०पी० किन्नौर स्थित किन्नौर।

*(Handwritten signature)*

Attested  
 Sub-Divisional Officer  
 Nihar

95 Deputy Conservator of Forest  
 Kinnaur Forest Division  
 Hekong, H.P.



उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार की बैठक दिनांक 03 अक्टूबर 2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्राप्त वनों का सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार की बैठक आयोजित कर भाबा मूढ सगनम प्रस्तावित सड़क निर्माण में उप महाल मसरंग में खसरा नम्बरान 733/708/694/1, 678/1, 742/728/704/689/589/1, 742/728/704/689/589/2, 569/1/1, 605/1, 717/216, 146/1, 78/1, 74/1, 50/1, 54/1, 68/1, 49/1, 44/1, 40/1, 37/1, 36/1, 17/1, 4/1, 4/2, 4/3 रकबा ताबाही 4-80-00 हेक्टेयर वन भूमि, महाल धार वन काया में खसरा नम्बरान 14/1, 12/1, 11/1, 11/2, 11/3, 10/1, 10/2 तथा महाल धार वन काया में खसरा नम्बरान 9/1, 9/2, 9/3, 10/3, 8/1 रकबा ताबाही 20-79-63 हेक्टेयर वन भूमि हि० प्र० लो० नि० वि० द्वारा भाबा मूढ सड़क निर्माण के लिए अर्जित की जानी है पर आगामी कार्यवाही की गई जिसमें उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्यों व अन्य सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों ने उपरोक्त प्राप्त बावों का अदालत/जांच करने के बाद निम्न निर्णय लिया गया :-

इस सम्बन्ध में ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति यांत्रिका, ग्राम पंचायत फरगाबा से प्राप्त अनापति प्रमाण पत्र तथा ग्राम सभा कागजा के प्रस्ताव की प्रति प्रेषित कर उपरोक्त सड़क निर्माण बारे उपरोक्त वन भूमि खसरा नम्बरान पर ग्रामवासियों ने उक्त सड़क के निर्माण भूमि अर्जन हेतु अनापति जाहिर कि है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि वन अधिकार कमेटी बागपा द्वारा आज तक उपरोक्त वन भूमि पर किसी भी तरह का व्यक्तिगत एवं सामुहिक यावा पेश नहीं किया है और इसमें किसी भी तरह के वन अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है। अतः अन्त में बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस तरह के विकासतामक कार्यों के लिए जो वन भूमि अर्जित की जाती प्रस्तावित है को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। बैठक में भाबा मूढ सगनम प्रस्तावित सड़क निर्माण के लिए प्रस्तावित वन भूमि अर्जित करने हेतु उप मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति ने सर्व सम्मति से अनुमोदित कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को आगामी कार्यवाही हेतु भेजने बारे निर्णय लिया।

*[Handwritten Signature]*  
 03-10-2018  
 उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं अध्यक्ष उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार स्थित भाबानगर।  
 दिनांक: 3/10/18

पुष्पंकन संख्या उपरोक्त: 2764  
 प्रतिलिपी: सेवा में,

उपायुक्त महेश्वर एवम जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला किन्नौर को उपरोक्त प्रस्ताव बारे सूचनाार्थ।

*[Handwritten Signature]*  
 वन परिशिष्टाधिकारी, कटमांडू  
 स्थित किन्नौर

श्री देव सिंह, सदस्य  
 उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार।

अनुसंधान अधिकारी,  
 कार्यालय परियोजना अधिकारी,  
 आई०टी०डी०पी० किन्नौर स्थित किन्कागपिओ।

*[Handwritten Signature]*  
 उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) एवं अध्यक्ष उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार स्थित भाबानगर।

*[Handwritten Signature]*  
 श्री राजकुमार, सदस्य  
 उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार।

श्री मति मासूम देवी, सदस्य  
 उपमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति निवार।

*[Handwritten Signature]*  
 अधिशाही अभियन्ता,  
 हि० प्र० लो० नि० वि० करछम स्थित भाबानगर, जिला किन्नौर।

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
 Sub-Divisional Officer (C)  
 Nichar at Bhambanagar  
 District, Kinnaur (HP)

*[Handwritten Signature]*  
 Deputy Conservator of Forest  
 Kinnaur Forest Division  
 at Reckong, Dist. H.P.



# कार्यालय ग्राम पंचायत, यांगपा

विकास खण्ड निचार (स्थित भाबान) जिला किन्नौर (हि0प्र0)

79

क्रमांक २७२

पंचायती राज विभाग

दिनांक ०१-६-२०१८

नकल प्रस्ताव संख्या १७

दिनांक बैठक पंचायत/ग्राम सभा ०५-५-०१८

उपस्थिति १९८/५८७

अध्यक्षता श्री/श्रीमती ३५१/१०५/१२/५१/०१ प्रधान ग्राम पंचायत, पौण्डा

विषय :- अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने का

ग्राम सभा की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मुख सभ्यक सदस्य योजना का जो निर्माण कार्य चलाया जा रहा है इस का श्रमवासियों को कोई आपात नहीं है ग्राम सभा के सभी सदस्य भावा मुख सभ्यक सदस्य योजना का जो निर्माण कार्य चला रहा है इस पर ग्राम सभा को कोई आपात नहीं है अतः ग्राम सभा अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करती है

प्रस्ताव सर्व संमत हो पाया हुआ

पंचायत सचिव  
ग्राम पंचायत यांगपा  
विकास खण्ड निचार,  
जिला किन्नौर हि0प्र0

95

Deputy Conservator of Forest  
Kinnaur Forest Division  
at Reckong Po, H.P

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

कार्यालय ग्राम पंचायत.....21/01/17  
विकास खण्ड.....17/3/17.....जिला.....6-7/11 (डि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव

अध्यक्षता श्री/श्रीमति.....शुभांगी पाटील..... दिनांक.....04-05-18

गणपूर्ति.....198/1557..... प्रस्ताव संख्या.....17

विषय: भावा मुँद परम्परागत वन भूमि  
के निर्माण हेतु..... विभाग/संस्था को.....जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित  
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु।

ग्राम पंचायत.....21/01/17..... की बैठक आज  
दिनांक.....04-05-18..... को.....2:00 PM..... बजे स्थान.....21/01/17  
में की गई, जिसमें.....21/01/17..... विभाग/संस्था  
को.....जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....  
मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/कर ली गई है तथा प्रस्तावित.....जंगल/वन क्षेत्र में प्रस्तावित.....  
निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा..... की सहमति दी जाती है।

स्थान.....21/01/17  
दिनांक.....04-05-18

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी,  
ग्राम पंचायत.....डि०प्र०

Deputy Conservator of Forest  
Kinnairt Forest Division  
at Reckong Teo, H.P.

Scanned by CamScanner

वन अधिकार समिति  
ग्राम सभा.....

प्रतिबिम्बि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या.....

दिनांक 18.12.2016

वन अधिकार समिति, ग्राम सभा..... की बैठक आज  
दिनांक 18.12.2016 को 11:30 बजे, स्थान..... में

श्री/श्रीमती..... की अध्यक्षता में की गई जिसमें.....  
गांव/गावों के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों  
से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम  
2006 के अन्तर्गत..... जंगल/वन क्षेत्र से सम्बन्धित वन  
अधिकारों के दावे हेतु प्राप्त आवेदनों पर चर्चा की गई, जिसमें.....  
के निर्माण के लिए..... हैक्टयर वन के उपयोग भूमि की मंजूरी प्रस्तावित  
है।

वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा  
के उपरान्त यह समिति इस नतीजे पर पहुंची कि श्री/श्रीमती..... का  
जंगल/वन क्षेत्र में..... के लिए अधिकार हेतु दावा नियमानुसार  
सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। तदनुसार समिति इस दावे को पारित करते हुए इसे उप  
खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है/तदनुसार समिति इस दावे को निरस्त करती है।

स्थान.....  
दिनांक 05.06.2018

ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत.....

Secretary  
R.R.A Samitti Yangpa-1  
Teh. Nichar, Distt. Kinnaur

\*\* प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के  
उपयोग की अनुमति दी जानी है।

AM

Secretary  
R.R.A Samitti Yangpa-1  
Teh. Nichar, Distt. Kinnaur  
H.P.

Deputy Conservator of Forest  
Kinnaur Forest Division  
at Reckong Poo, H.P.

Scanned by CamScanner